



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
पी.डी.एम. प्रभाग

सं. केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम /545/2017/

2238-2292

दिनांक: 31.08.2017

सेवा में,

(सभी विद्युत उत्पादन कम्पनियों को संलग्न सूची के अनुसार)

विषय : देश में विद्युत उत्पादन इकाईयों के रिटायरमेंट और नई विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना के बारे में।

महोदय ,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में पत्र संख्या केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम /545/2017/435-604, दिनांक: 25.01.2017 सचिव, CEA के क्रम में पत्र संख्या केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम /545/2017/1836-1895, दिनांक: 23.08.2017 सचिव, CEA की ओर से संलग्न है।

यह आपकी सूचना और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु है।

भवदीय,

संलग्न: यथोपारी

निदेश/आ.स.प्र.

JER
31/8/17
(प्रहलाद)

मुख्य अभियंता (पी.डी.एम.)

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

JER
11.8.17

1. पी.पी.एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक
3. सदस्य (योजना/जल विद्युत/तापीय/आ.एवं वा./जी.ओ.एंड.डी./ पी.एस), के.वि.प्रा।
4. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता।
5. के.वि.प्रा. के सभी अभिनस्थ कार्यालयों के प्रधान।
6. आई.टी.. प्रभाग, के.वि.प्रा की वेबसाइट पर उपलोड करने के लिए।

भारतीय विद्युत नियंत्रण आयोग
भारतीय विद्युत नियंत्रण आयोग
CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
प. पी. एम., (POWER DATA MANAGEMENT DIVISION)
सवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 110066
SEWA BHAWAN, R.K. PURAM, NEW DELHI - 110066

फोन नं. (0001-2003)

वेबसाइट/Website:

No.CEA/PLG/PDM/545/2017/

Dated 25.01.2017

To,

(All Generating Utilities as per list enclosed)

Subject: Retirement of power generating units in the country.

Sir,

The power generation utilities approach CEA for approval of the retirement of their units whereas the generating utilities can take their own decision based on their own techno-economic reasons and they do not need to take approval of the CEA for retirement of their units.


In all cases where the generating company has taken a decision to retire their units, they must intimate CEA for incorporating the same in the data base of the installed capacity in the country and also for CEA to see if its retirement results in adversely affecting the voltage profile in the grid/ grid instability/ overloading. If so, the CEA would take remedial action accordingly.

However, according to Section 73(m) of Electricity Act 2003, any Generating Company can approach CEA for advice w.r.t Retirement of their generating units. In such a case, the generating utility would have to furnish data as required by CEA for giving recommendations. CEA may, at a later stage, also issue an advisory giving the criteria for retirement to help the states evaluate the unit themselves.

However, this advice being in nature of recommendation only, is not binding upon the company, which may take its own decision, as deemed appropriate by it, in the matter.

This is for your kind information and necessary action in this matter.

Yours faithfully


(P.D. Siwal)
Secretary, CEA

Copy for information to:

1. PPS to Secretary (Power), MOP
2. SA to Chairperson, CEA
3. SA to Member (Planning/Hydro/Thermal/E&C/G&O/PS), CEA
4. All Chief Engineers of CEA
5. All Heads of Subordinate offices, CEA
6. IT Division, CEA for uploading on CEA website

सं: केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम/545/2017/

दिनांक : 25-01-2017

सेवामें,

(सभी विद्युत उत्पादन कम्पनियों को सलंगन सूची के अनुसार)

विषय:- देश में विद्युत उत्पादन इकाइयों के रिटायरमेंट के बारे में ।

महोदय,

विद्युत उत्पादन कम्पनियाँ इकाइयों को रिटायर करने के लिए CEA को सम्पर्क(approach) करते हैं, जबकि रिटायर करने के लिए उत्पादन कम्पनियाँ अपने टेक्नो-इकोनोमिक कारणों के आधार पर अपना निर्णय ले सकते हैं और उनकी इकाइयों के रिटायरमेंट के लिए CEA से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

सभी मामले (cases), जहाँ पर उत्पादन कम्पनी उनकी इकाइयों को रिटायर करने का निर्णय ले चुके हैं, CEA द्वारा रिटायर्ड क्षमता को देश की स्थापित क्षमता से हटाने, ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल, ग्रिड अस्थिरता/ओवरलोडिंग को देखने के लिए CEA को सूचित करना आवश्यक है । ऐसे में, तदनुसार CEA उपचारात्मक कार्यवाही करेगा ।

मगर विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन 73(M) के अनुसार कोई भी उत्पादन कंपनी उनकी इकाई को रिटायर करने के लिए, सलाह के लिए CEA को सम्पर्क (approach) कर सकते हैं । ऐसे मामले (case) में सलाह के लिए CEA द्वारा मांगी जाने वाली आवश्यक सूचना उत्पादन कम्पनी को प्रदान करनी होगी । राज्यों/कम्पनी की सहायता के लिए इकाइयों के रिटायरमेंट मानदंड (criteria) मुल्यांकन के लिए बाद में, CEA सलाह (advisory) जारी करेगा ।

मगर, यह सलाह (advice) प्राकृतिक रूप से मात्र सिफारिश (Recommendation) है, कम्पनी के ऊपर प्रतिबंधन (Binding) नहीं है, जो कि स्वयं का निर्णय, जैसा उचित समझे, इन मामलों में ले सकते हैं ।

यह आपकी सूचना और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु है ।

संलग्न : यथोपरि ।

भवदीय,

(पी. डी. सिवाल)
सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

1. पी. पी. एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक ।
3. सदस्य (योजना/जल विद्युत /तापीय/ आ.एवं वा./ जी. ओ. एंड डी. / पी.एस.), के.वि.प्रा. ।
4. केविप्रा के सभी मुख्य अभियंता ।
5. के.वि.प्रा. के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रधान ।
6. आई.टी. प्रभाग, के.वि.प्रा. को के.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
पी .डी एम .प्रभाग

No.CEA/PLG/PDM/545/2017/1836-1895

Dated: 21st August, 2017
23

To,

(All Generating Utilities as per list enclosed)

Subject: Retirement of power generating units in the country and further plan to install new generation capacity.

Sir,


This is in continuation to our earlier letter No.CEA/PLG/PDM/545/2017/435-604 dated 25.01.2017 in respect of above subject. A copy of the letter is enclosed herewith for your ready reference.

In this respect, it is requested that in addition to the requirements mentioned in the above letter, whenever a generating company takes a decision to retire a unit it may also intimate the plan of new capacity addition of conventional/Renewable Energy Source(RES) in the same location, if any, to CEA.

This is for your kind information and necessary action in this matter.

Encl: As above.

Yours faithfully,


23/8/2017
(P.C. Kureel)
Secretary, CEA

Copy for information to:

1. PPS to Secretary(Power), MoP
2. SA to Chairperson, CEA
3. SA to Member(Planning/Hydro/Thermal/E&C/GO&D/PS), CEA
4. All Chief Engineers of CEA
5. All Heads of Subordinate Offices, CEA
6. IT Division, CEA for uploading on CEA website.

भारत सरकार
Government of India

विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

Central Electricity Authority

पी.डी.एम. प्रभाग

सं. केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम /545/2017/ 1836 - 1895

दिनांक: 21.08.2017

सेवा में,

(सभी विधुत उत्पादन कम्पनियों को संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: देश में विधुत उत्पादन इकाईयों के रिटायरमेंट और नई विधुत क्षमता स्थापित करने की योजना के बारे में।

महोदय ,


यह हमारे पूर्व पत्र संख्या सं. केविप्रा/पीएलजी/पीडीएम /545/2017/435-604, दिनांक 25.01.2017 के उपरोक्त विषय के बारे में है। पत्र की एक प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न है।

इस बारे में आपसे यह अनुरोध है कि जब भी एक विधुत उत्पादन कंपनी एक इकाई को रिटायर करने का निर्णय लेती है तो उपरोक्त पत्र में बताई गई आवश्यक कार्यवाही के साथ-साथ CEA को यह भी सूचित करें कि उसी जगह पर पारंपरिक (conventional)/अक्षय उर्जा (RES) की नई विधुत क्षमता स्थापित करने की योजना, अगर कोई हो तो, वह भी सूचित करें।

यह आपकी सूचना और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु है।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि


23/8/2017
(पी.सी. कुरील)

सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. पी.पी.एस., सचिव (विधुत), विधुत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक
3. सदस्य (योजना/जल विधुत/तापीय/आ.एवं वा./जी.ओ.एंड.डी./ पी.एस), के.वि.प्रा।
4. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता।
5. के.वि.प्रा. के सभी अभिनस्थ कार्यालयों के प्रधान।
6. आई.टी. प्रभाग, के.वि.प्रा की वेबसाइट पर उपलोड करने के लिए।